MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

Subject Statement showing reasons for delay in submission of the Annual Report and Audited Accounts of National Anti Doping Agency (NADA) for the year 2021-22

As per rule 20 of the Rules of National Anti Doping Agency, the Annual Report and Audited Accounts along with the Audit Report thereon of NADA are required to be laid in both the Houses of Parliament.

- 2. Further, as per the existing instructions of the Department of Parliamentary Affairs, the Annual Report as well as the audited accounts of an autonomous body are required to be placed in the Parliament within nine months after the closing of accounting year. Accordingly, the Annual Report and Audited Accounts along with the audited report thereon of NADA for the year 2021-22was to be laid in the Parliament. However on account of the reason mentioned below, it has not been possible to lay the said documents before the Parliament as under: -
 - (i) The National Anti-Doping Agency has prepared the balance sheet within the time limit and also forwarded the balance sheet to the office of DG of Audit (Home, Skill Development and Education) on 06.07.2022 duly approved by the Governing Body of NADA for undertaking the statutory audit of NADA so that audited account/annual report may be placed before the Both Houses of the Parliament.
 - (ii) The Audit Team from the Office of DG of Audit conducted the statutory audit between 11.07.2022 19.07.2022 and SAR received on 30.09.2022. However, due expiry of the tenure of the members of the Governing Body, the SAR and annual report for 2021-22 could not be placed before the Governing Body for Approval. The Governing Body reconstituted on 24.11.2022 and approval for the SAR and Annual Report accorded on 10.01.2023.

AUTHENTICATED

(NISITH PRAMANIK)

MINISTER OF STATE FOR YOUTH AFFAIRS & SPORTS

F.NO. H-12019/9/2023-SP-V

DATE: 24-01-2023

PLACE: NEW DELHI

निशिष्य प्रामाणिक Nisith Pramanik युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री Minister of State Youth Affairs & Sports भारत सरकार, नई दिल्ली Government of India, New Delhi

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

विषय:— राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) के वर्ष 2021—22 तक की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) के नियम 20 के अनुसार नाडा की वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखाओं सहित तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाना अपेक्षित है।

- 2. इसके अतिरिक्त, संसदीय कार्य मंत्रालय के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार स्वायत्त निकाय की वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखाओं को संसद में लेखा वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर रखा जाना अपेक्षित है। तदनुसार, राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) की वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं सिहत तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट को संसद में रखा जाना था। तथापि, निम्नलिखित कारणों से उक्त दस्तावेजों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना संभव नहीं हुआ:—
- (i) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी ने शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित तुलन पत्र दिनांक 06.07.2022 को महानिदेशक, लेखापरीक्षा (गृह, कौशल विकास एव शिक्षा) के कार्यालय को नाडा की सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए अग्रेषित कर दिया था ताकि लेखा परीक्षित लेखा/वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जा सके।
- (ii) महानिदेशक, लेखापरीक्षा के कार्यालय से लेखापरीक्षा दल ने दिनांक 11.07.2022 19.07.2022 के बीच वैधानिक लेखा परीक्षण किया और दिनांक 30.09.2022 को विभक्त ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की। हालाँकि, शासी निकाय के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के कारण, विभक्त ऑडिट रिपोर्ट और 2021—22 की वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष नहीं रखी जा सकी। दिनांक 24.11.2022 को शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया और दिनांक 10.01.2023 को विभक्त ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

अधिप्रमाणित

(निसिथ प्रामाणिक) युवा कार्यक्रम और खेल राज्यमंत्री

सं. एच-12019/9/2023-खेल-V स्थान : नई दिल्ली दिनांक २५ ०१-२०२३ निशिष्ट ग्रामाणिक Nisith Pramanik युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री Minister of State Youth Affairs & Sports भारत सरकार, नई दिल्ली Government of India, New Delhi